	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार 29/11/24 को पेश हो। 18/11	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार 23/12/24 को पेश हो। 29/11	
23/12/24	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली 10/01/25 को पेश हो। 23/12/24	
10/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र O 22 R 10 प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। वादीगण चन्द्र सिंह व नीरज द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O 22 R 10 एवं धारा 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सहवादकार शान्तिबाई की मृत्यु दिनांक 3.12.19 को हो चुकी है तथा हालफल वाद 2019 में पेश किया गया है। शान्तिबाई का फौती इन्तकाल 611 दिनांक 6/5/2020 को तहसीलदार बाजुरा द्वारा तस्दीक किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जा चुका है तथा उक्त इन्तकाल उपरान्त शान्ति बाई की पुत्रियाँ हरि एवं कमला बाई बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं अतः हरिबाई एवं कमलाबाई को बतौर प्रतिवादी हस्तगत प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी क्र.① द्वारा निवेदन किया गया कि हरिबाई एवं कमला बाई शेर सिंह की पुत्रियाँ हैं। जिनका नाम शेर सिंह की मृत्यु उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों बहनों ने अपना हिस्सा पूर्व में ही प्राप्त कर खुर्द-बुर्द कर दिया है। शान्ति बाई की मृत्यु के उपरान्त हरिबाई एवं कमलाबाई के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं. 611 दिनांक 6/5/20 प्रभावशून्य है. अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि हरिबाई एवं कमला बाई ने ने राजस्व वाद हरिबाई बनाम टीकाराम न्यायालय में पेश कर रखा है. उक्त वाद में हरिबाई

...या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
...मलाबाई के अभिभावक नव होंगे। ...कारण हस्तगत वाद में हरिबाई एवं कमलाबाई आवश्यक पक्षकार नहीं है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि यदि हरिबाई एवं कमलाबाई का हिस्सा होता तो सूरजसिंह की मृत्यु के उपरान्त ही दर्ज हो जाता, लेकिन सूरजसिंह की मृत्यु के उपरान्त दोनों पुत्री तथा पत्नी का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। अतः दर्ज इन्तकाल प्रभावशून्य है, सूरजसिंह के वारिसान का निर्धारण सूरजसिंह की मृत्यु उपरान्त हो गया था। अब तो शांतिबाई का नाम खाते से डीलिट ही किया जाना है। हरिबाई व कमलाबाई आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र O1 R10 खारिज किया जावे। पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, प्रार्थना पत्र O1 R10 तथा जवाब प्रार्थनापत्र O1 R10 से यह प्रमाणित हो जाता है कि शांतिबाई की मृत्यु उपरान्त दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	इन्तकाल के परिणामस्वरूप हरिबाई कमलाबाई वर्तमान में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थनापत्र O1 R10 के प्रतिवादी क्रम ① द्वारा यह स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि हरिबाई एवं कमलाबाई सूरजसिंह व शांतिबाई की पुत्रियाँ हैं। हमारे विनम्र मत में जब यह तथ्य स्वीकार पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है कि हरिबाई व कमलाबाई सूरजसिंह व शांतिबाई की पुत्रियाँ हैं, तो यह कानूनन अनिवार्य है कि आवश्यक पक्षकार के रूप में उन्हें रिकार्ड पर लिया जावे। परिणामतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र O1 R10 स्वीकार किया जाकर हरिबाई व कमलाबाई को बतौर प्रतिवादी क्र. ③ व ④ रिकार्ड पर लिया जाता है। जहाँ तक प्रतिवादी के इस कथन का, कि हरिबाई एवं कमलाबाई द्वारा अपने हक निर्धारण हेतु पृथक वाद पृथक से इस न्यायालय में संस्थित

...या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
...रखा है, अभिमत है, हमारे विनम्र मत में समान प्रश्नगत इस बाबत स्वतंत्र है कि यदि वे आवश्यक समझते हैं तो, उस वाद को हस्तगत वाद के साथ consolidate करवा ~~हेतु~~ ~~स्वतंत्र हैं~~ सकते हैं। पत्रावली वास्ते संशोधित ... 16/01/25 को पेश हो। 10/01/25	